न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2020 राजस्व अपील

1. मूलचन्द पुत्र श्रीया जाति मीना निवासी ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा तह. सिकराय दिनांक 29.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मूलचन्द, मु. नं. 94/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री जयन्त जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 31.08.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नं. 86 रकबा 0.10 है. किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की बिना विधिवत तामील हुए बिना ही दिनांक 29.08.2018 को निर्णय पारित कर दिया व अपीलान्ट को 90 दिवस के कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। उपरोक्त निर्णय की पालना में पुलिस द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 3.4.2019 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जमानत पर छोडा गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम, उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील भी नहीं होने से अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई मौका नहीं मिला जबकि सजा जैसे केस में पीडित पक्षकार को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना चाहिए था। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2018 में से 90 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमाने बाबत निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 86 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह में से 0.04 है. पर बाजरा, 0.02 है. पर पडत कब्जा कर तथा 0.04 है. पर तम्बाकू की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट के जरिये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट का प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा नं0. 86 रकबा 0.10 है. किस्म चरागाह पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official